धन-कर

1957 का 27

82. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन।

'परंतु 1 अप्रैल, 2010 से ही प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की दशा में, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पन्द्रह लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीस लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।'।

83. धन-कर अधिनियम की धारा 44क के स्पष्टीकरण में, "कोई ऐसा देश" शब्दों के स्थान पर, "भारत से बाहर कोई ऐसा देश या भारत से बाहर कोई ऐसा राज्यक्षेत्र" शब्द 1 अक्तूबर, 2009 से रखे जाएंगे । धारा 44क का संशोधन।

http://indiabudget.nic.in